(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4299–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2016 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 31/अपील/16–17.

1– शीशराम पुत्र स्व. मेजर सुखराम सिंह
2– महावीर सिंह पुत्र स्व. मेजर सुखराम सिंह
3– भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मेजर सुखराम सिंह
4– प्रीतम सिंह पुत्र स्व. मेजर सुखराम सिंह
निवासीगण ग्राम देलावाडी कृषक बमनई
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– दिलीप सिंह पुत्र स्व. छेलूराम
2– गिरधारी सिंह पुत्र स्व. छेलूराम
3– अत्तर सिंह पुत्र स्व. छेलूराम
4– रिसाल सिंह पुत्र स्व. छेलूराम
निवासीगण ग्राम देलावाडी कृषक बमनई
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
5– शिवपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
निवासी ग्राम पवेरा तहसील नारनोल
जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
6– श्रीमती निम्बो बाई पत्नी हरफूल सिंह
पुत्री स्व. रिछपाल सिंह
7– सन्तरा पत्नी टेकचन्द पुत्री रिछपाल सिंह
निवासीगण सारंगपुर (इमराडा)
तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
8– रीमती सजनी बाई पत्नी स्व. सज्जन सिंह
पुत्री स्व. रिछपाल सिंह
9– कपूर सिंह पुत्र सज्जन सिंह
पुत्र स्व. रिछपाल सिंह
10– परमवीर सिंह पुत्र स्व. सज्जन सिंह
पुत्र स्व. रिछपाल सिंह

11– लखपति पुत्र स्व. सज्जन सिंह
पुत्र स्व. रिछपाल सिंह
निवासीगण पवेरा
तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़
12– विमला पत्नी स्व. भागीरथ सिंह
पुत्र स्व. रिछपाल सिंह
निवासी ग्राम करमई (बमनई)
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के आदेश दिनांक 28–11–2016 के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 19–12–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील ग्राह्य की जाकर तीन माह के लिए स्थगन दिया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का पालन तहसील न्यायालय द्वारा कर दिये जाने के बावजूद भी आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का कियान्वयन स्थगित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–12–2016 को तीन माह के लिए स्थगन दिया गया था, और उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन कमांक 2129/2016 में दिनांक 8–2–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी को अंतिम आदेश पारित करने से रोका गया है,अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में आयुक्त द्वारा दिनांक 19–12–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–11–2016 का क्रियान्वयन तीन माह के लिये रोका जाकर दिनांक 28–11–2016 की स्थिति कायम करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल यर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर